हिमाचल प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

संख्याःआई०टी०--बी(1)−1/2017 तारीख शिमला−2, 20 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

1.

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अधीक्षक ग्रेड–1, वर्ग–1 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध– "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

> इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अधीक्षक ग्रेड–1, वर्ग–1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा प्रधान सचिव, (सूचना प्रौद्योगिकी) हिमाचल प्रदेश सरकार । पृष्ठांकन सख्याः यथोपरि। तारीख शिमला–2

२० नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव विधि (परामर्शी), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2 ।
- 2. उप सचिव (कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 ।
- 3. उप सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2 ।
- 4. निजी सचिव (मुख्य मन्त्री), हिमाचल प्रदेश शिमला–2 ।
- 5. निजी सचिव (मुख्य सचिव), हिमाचल प्रदेश शिमला-2 ।
- महालेखाकार, (लेखा परिक्षा), हिमाचल प्रदेश शिमला–2 ।
- 7. सचिव, लोक सेवा आयोग शिमला-2।
- निदेशक, सूचना प्रौधोगिकी विभाग, शिमला–13।
- उप विधि परामर्शी एंव उप सचिव (विधि राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
 संरक्षण नस्ति।
 - (राकेश मेहता) सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध- ''क''

हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अधीक्षक ग्रेड–1, वर्ग–1 (राजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1.	पद का नामः	अधीक्षक ग्रेड–1
2.	पद (पदों) की संख्याः	1 (एक)
3.	वर्गीकरणः	वर्ग-1 (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाए
4.	वेतनमानः	पे बैंडः 15600–39100 रूपए + 5400 रूपए
		ग्रेड पे।
5.	''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पदः	अचयन।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयुः	लागू नहीं।
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति	(क) अनिवार्य अर्हता (एं): लागू नंही।
	(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम	(ख) वॉछनीय अर्हताः
	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति	आयुः लागू नहीं ।
	(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और और को किन्तु जर्मना करीन	शैक्षिक अर्हता(एं): लागू नहीं ।
	शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (न्यूचिन्यूपें) की जुण्यू में जुण्यू चोंगी जुण्	
	(व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगीं या नहीं:	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी
0.		और अवधि के लिए विस्तार किया जा
		संकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष
		परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में
	a c a c c c c c c c c c c c c c c c c c	अभिलिखित करके आदेश दें।
10.	भती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
	<u>प्रोन्नति / सैंकेण्डमैण्ट</u> / स्थानान्तरण	
	द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः	
11.	प्रोन्नति / सैकेण्डमैण्ट / स्थानान्तरण	
	द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां	अधीक्षक ग्रेड–II में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका
	(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैण्ट/	तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में
	रथानान्तरण किया जाएगाः	की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो,
		को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित
		सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर अधीक्षक
		ग्रेड–II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अधीक्षक

ग्रेड–II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अधीक्षक ग्रेड–II और वरिष्ठ सहायक के रूप में

संयुक्ततः नौं वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अधीक्षक ग्रेड–II के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा अवश्य होनी चाहिए।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/ कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी: परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि ऐसे पदधारियों को, उनकी प्रोन्नति पर, दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/ स्थानान्तरित किया जा सकेगाः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिसने जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I— उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

	स्पष्टीकरण II— उपर्युक्त परन्तुक (1) प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन 8 निम्न प्रकार से होगें:—
	 जिला लाहौल एवं स्पिति। चम्बा जिला का पांगी और भरम उप—मण्डल। रोहडू उपमण्डल का डोडरा कव क्षेत्र। जिला शिमला की रामपुर तहसील क पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाव और ग्राम पंचायत काशापाट। जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना जीला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना कांगडा जिला के बैजनाथ उप—मण्ड का बड़ा भंगाल क्षेत्र। जिला किन्नौर। सिरमौर जिला में, उप तहसील कमर के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृ रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौक
	और सांगना पटवार वृत और शिल तहसील का कोटा पाब पटवार वृत। 9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील क खनयोल—बगडा वृत, बाली चौकी छ तहसील के गाड़ा गुशैणी, मठियान घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड औ खोलानाल, पटवार वृत, पद्धर तहसी के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगत ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह—भडवान हस्तपुर, घमरेहर और भटेढ़ पटवा वृत थुनाग तहसील के चिउर्ण कालीपार, मानगढ़, थाच—बगड़ा, उत्त मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृ और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ पटवार वृत। स्पष्टीकरण III: उपर्युक्त परन्तुक (1) व प्रयोजन के लिए और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेन

- (i) उप–मण्डल / तहसील मुख्यालय से
 20 किलोमीटर की परिधि से परे के
 समस्त स्थान।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हों, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कूल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्यक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

अन्तिम परन्तुक के स्पष्टीकरणः– अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल अवधि के दौरान सशस्त्र बल शामिल हुआ है। और जिसे में डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे (रिजर्वेशन एक्स-सर्विसमैन आफ दी हिमाचल प्रदेश वैकेन्सीज इन टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ

नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् स्थाईकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

- 12 यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः
- 13 भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः
- 14 सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा
- 15 सीधी भर्ती द्वरा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः
- 16 आरक्षणः

- 17 विभागीय परीक्षाः
- 18 शिथिल करने की शक्तिः

जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए। जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हों।

लागू नहीं। लागू नहीं।

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

लागू नहीं ।

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियां) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी। (Authoritative English Text of this Department Notification No. IT-B (1)-1/2017 dated ----2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh Department of Information Technology

No. IT-B (1)1/2017

Dated: Shimla-171002, the

20 Th November, 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted) in the Information Technology Department, Himachal Pradesh, as per Annexure - "A" attached to this notification, namely:-

- 1. Short title and 1. Commencement
- These rules may be called the Himachal Pradesh Information Technology Department, Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019.
 - (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By Order

Jagdish Chander Sharma Principal Secretary (IT) to the Government of Himachal Pradesh Endst:- No. IT-B (1)-1/2017 Dated Shimla-2, the

20th November, 2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The Addl. LR-Cum-Addl. Secretary Law (Opinion) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 2. The Deputy Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 3. The Deputy Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 4. The Private Secretary to Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 5. The Private Secretary to Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 6. The Principal Accountant General (Audit), HP, Shimla-3.
- 7. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2 alongwtih five spare copies.
- 8. The Director, Information Technology Department, HP, Shimla-3.
- 9. The DLR-cum-Deputy Secretary, Law (English Section), to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 10. Guard file.

3

(Rakesh Mehta) Joint Secretary (IT) to the Government of Himachal Pradesh RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT GRADE-I CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH.

1	Name of the Post Number of Posts		
2 3 4	Classification Scale of Pay	: :	01 (One) Class-I (Gazetted) Ministerial Services Pay Band Rs 15600-39100+ 5400 Grade Pay.
5 6 7	Whether "Selection" Post" or "Non-Selection" Post Age for direct recruitment Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s)	:	Non-Selection Not applicable Essential Qualification(s):Not Applicable Desirable Qualification: Not Applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit(s) will apply in		Age: Not Applicable Education Qualification: Not Application
9	the case of the promotees? Period of probation, if any	:	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.

Method(s) of recruitment, : 10 direct by whether recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.

In case of recruitment by 11 secondment/ : promotion/ transfer, grade(s) from which secondment / promotion/ transfer is to be made.

By promotion from amongst the Superintendent Grade-II who possess 03(three) year's regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Superintendent Grade-II who possess nine year's regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, as Superintendent Grade-II and Senior Assistant combined, out of which 02 (two) year's essential service must be as Superintendent Grade-II:

 Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas.

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:- For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal / Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II:- For the purpose of proviso (I) supra the Tribal /Difficult Areas shall be as under:-

- 1. District Lahaul & Spiti.
- **2.** Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
- 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub- Division.
- Pandra Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
- 5. Pandra Bis Pargana of Kullu District.
- 6. Bara Bhangal Area of Baijnath Sub Division of Kangra District.
- 7. District Kinnaur.
- Kathwar and Korga Patwar Circles ofKamrau Sub Tehsil, Bhaladh, Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renuka Ji, Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
- 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gassaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi,

Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Gramin, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III: For the purpose of provision (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:-

- All stations beyond the radius of 20 Kms. For Sub Division/Tehsil headquarter.
- All stations beyond the radius of 15Km. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more then 3 (three) Kms.
- 3) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms of the employee regardless of its category.
- (II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as/prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules.

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum

for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION :- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

Similarly, in all cases of confirmation, (ii) continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

> Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

As may be constituted by the Government from time to time

As required under the Law

making recruitment Essential requirement for a :

Departmental :

Committee

is

its

14 direct recruitment

what

Circumstances under which :

in

the H.P.P.S.C. is to be

12

13

If

a

Promotion

consulted

composition?

exists,

Not applicable

- 15 Selection for appointment : to the post by direct recruitment
- 16 Reservation
- Departmental Examination :
 Powers to relax :

Not applicable

:

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time. Not applicable

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh. Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

all a